



## राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर।

क्रमांक :- सी.बी.एस/मु.प्र./वित्त/केन्टिन/26/195

दिनांक:- 12/02/26

### ई-बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर के प्लेटफार्म नं. 02 पर स्थित कॉम्पलेक्स (शौचालय/मूत्रालय) हेतु अस्थाई रूप से लाईसेंसी नियुक्त किये जाने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है:-

| क्र. सं. | प्लेटफार्म नम्बर | स्टॉल नं. | स्टॉल प्रकृति                | RISL प्रोसेसिंग फीस | निविदा शुल्क (जीएसटी सहित) | धरोहर राशि | अनुमानित वार्षिक आय, जी.एस.टी. अतिरिक्त |
|----------|------------------|-----------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1.       | 02               | 203       | कॉम्पलेक्स (शौचालय/मूत्रालय) | 500                 | 236                        | 50,000     | 6,30,000                                |

RISL प्रोसेसिंग फीस हेतु डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **MANAGING DIRECTOR RISL** के नाम देय होंगे। धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **CM RSRTC CBS JAIPUR** के नाम से देय होंगे। डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की छाया प्रतिलिपि (Scanned Copy) ई-बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी। मूल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक दिनांक 24.02.2026 को 15:00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जाने चाहिये, तकनीकी बोली दिनांक 24.02.2026 को ही 16:00 बजे खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार है।

| क्र./सं. | विवरण                                                               | दिनांक     | समय   | स्थान                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------|
| 01       | बोली दस्तावेज डाउनलोड करना                                          | 12.02.2026 | 18:00 |                                           |
| 02       | प्री-बिड मीटिंग                                                     | 16.02.2026 | 14:00 | मुख्य प्रबन्धक कक्ष सी.बी. एस. आगार जयपुर |
| 03       | ई-बोली प्रारम्भ                                                     | 17.02.2026 | 10:00 |                                           |
| 04       | ई-बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि                                 | 23.02.2026 | 17:00 |                                           |
| 05       | मूल बोली दस्तावेज को मुख्य प्रबन्धक को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | 24.02.2026 | 15:00 | मुख्य प्रबन्धक कक्ष सी.बी. एस. आगार जयपुर |
| 06       | तकनीकी बोली खोली जाने की तिथि                                       | 24.02.2026 | 16:00 |                                           |

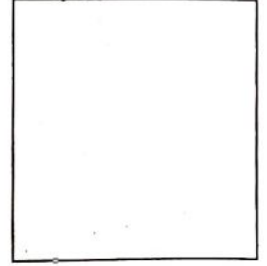
विस्तृत बोली दस्तावेज उपापन पोर्टल <https://eproc.rajasthan.gov.in>, <https://sppp.rajasthan.gov.in> और निगम वेबसाइट <https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> से डाउनलोड किये जा सकते हैं भविष्य में सभी अपडेट इन्ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अतः इच्छुक बोलीदाता को इन वेबसाइट को निरंतर विजिट करने की सलाह दी जाती है। निविदा को बिना पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।

*Rakesh*  
(राकेश राय)  
मुख्य प्रबन्धक  
सी.बी.एस आगार, जयपुर।

# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प जयपुर पर कॉम्पलेक्स, शौचालय/मुत्रालय हेतु अस्थाई  
रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

## तकनीकी बिड-प्रपत्र



कंपनी की दशा में  
फोटो अनिवार्य नहीं

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 01 | फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता                                                                                                                                                                                                         | :- |  |
| 02 | चाही गई केन्टीन/कॉम्पलेक्स संख्या                                                                                                                                                                                                       |    |  |
|    | टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.                                                                                                                                                                                                                |    |  |
| 03 | कार्यालय                                                                                                                                                                                                                                | :- |  |
|    | निवास                                                                                                                                                                                                                                   | :- |  |
| 04 | टेलेक्स/फैक्स नम्बर                                                                                                                                                                                                                     | :- |  |
| 05 | व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण                                                                                                                                                                                                           | :- |  |
| 06 | धरोहर राशि                                                                                                                                                                                                                              | :- |  |
| 07 | धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नम्बर                                                                                                                                                                      | :- |  |
|    | दिनांक                                                                                                                                                                                                                                  | :- |  |
| 08 | निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में कॉम्पलेक्स (शौचालय/मुत्रालय) का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।                                                                                                                                    |    |  |
| 09 | निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैंक में खाता नम्बर                                                                                                                                                                         | :- |  |
| 10 | अन्य आवश्यक विवरण:- पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो, जी.एस.टी. पंजीकरण फर्म/कम्पनी होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पंजीकरण खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी। | :- |  |

हस्ताक्षर निविदादाता  
मय पद/हैसियत/मोहर सहित

केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर के प्लेटफॉर्म नं. 02 पर शौचालय/मुत्रालय की साफ-सफाई एवम् रखरखाव कार्य की निविदा की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1. शौचालयों/मुत्रालयों के साफ-सफाई एवम् रख-रखाव कार्य की अनुबन्ध अवधि प्रथम बार एक वर्ष के आवंटन किया जायेगा। एवं आगारीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा।
2. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने पर कभी भी अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
3. सुलभ कॉम्पलेक्स में उपलब्ध स्थान पर लाईसेन्सी को स्वयं के व्यय पर दो पृथक से महिला मुत्रालय (यूरेनल पॉट) की व्यवस्था करवानी होगी। जिस पर महिला मुत्रालय निःशुल्क लिखवाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य में होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय का पुर्नभरण निगम द्वारा नहीं किया जावेगा।
4. शौचालयों/मुत्रालयों की साफ-सफाई, रख-रखाव के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार मरम्मत का कार्य लाईसेन्सी द्वारा स्वयं के खर्च पर किया जायेगा। शौचालयों/मुत्रालयों धरों की साफ-सफाई 24 घन्टे स्वयं के खर्च पर ठेकेदार को करनी होगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य परिषद उसी स्थिति में निगम को वापिस संभलवायेगा जिस स्थिति में निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ करते समय लाईसेन्सी को कार्य हेतु अधिकृत किया था अन्यथा इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय की वसूली लाईसेन्सी से की जावेगी।
5. शौचालयों उपयोगकर्ता यात्रियों से जनरल शौचालय घर पाँच रुपये, स्नान घर का पाँच रुपये तथा स्पेशल शौचालय घर (शौचालय+स्नान) का दस रुपये वसूल किया जा सकेगा। मुत्रालय का उपयोग सभी के लिए पुर्णतः निःशुल्क होगा। इस सम्बन्ध में स्पष्ट स्थाई आवश्यक सूचना पट्ट सम्बन्धित स्थान पर प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सी (द्वितीय पक्ष) की होगी निर्धारित दर मोटे-मोटे अक्षरों में बोर्ड या दीवार पर लिखवानी होगी ताकि सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके।
6. शौचालय/मुत्रालय परिसर के अन्दर से सीवर लाईन तक जुड़ने से पूर्व की ड्रेनों की साफ-सफाई का दायित्व लाईसेन्सी का होगा।
7. यात्रियों के हाथ धोने के लिए साबुन की निःशुल्क व्यवस्था लाईसेन्सी को करनी होगी।
8. सफाई हेतु फिनायल, वाशिंग पाउडर, पौचा, डस्टर, तैजाब, साबुन, सोडा आदि सामग्री की व्यवस्था लाईसेन्सी को करनी होगी।
9. शौचालय/मुत्रालयों की सुविधाएं यात्रियों को 24 घन्टे उपलब्ध करवानी होगी।
10. लाईसेन्सधारी स्वयं के खर्च पर सम्बन्धित विभाग से बिजली कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका भुगतान सम्बन्धित विभाग को करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द के लिए सूचित करेगी।
11. शौचालय/मुत्रालयों के लिए पानी की व्यवस्था निगम (प्रथम पक्ष) करेगा, लेकिन अपरिहार्य कारणों से निगम द्वारा इनकी प्रदायगी न कर पाने की स्थिति में लाईसेन्सी (द्वितीय पक्ष) को स्वयं के खर्च पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। लाईसेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी का दुरुपयोग नहीं होवे अन्यथा आगारीय समिति द्वारा शास्ति आरोपित की जा सकती है।
12. इन स्थानों की दीवारों पर चिपकाये जाने वाले पोस्टर/स्टीकरों, नारों आदि को लाईसेन्सी अविलम्ब हटायेंगा/साफ करायेगा।
13. प्रथम पक्ष निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अथवा अन्य माध्यम से दिये गये आदेशों की पालना द्वितीय पक्ष को करनी होगी।
14. द्वितीय पक्ष लाईसेन्सी के किसी भी कर्मचारी को किसी भी स्थिति में कोई भुगतान क्षतिपूर्ति आदि प्रथम पक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा देय नहीं होगा।
15. शौचालय/मुत्रालयों की सफाई, कीटनाशक औषधियों से एक सप्ताह में कम से कम दो बार लाईसेन्सी को आवश्यक रूप से करानी होगी।
16. शौचालय/मुत्रालयों पर कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी अपंग हो जाता है तो उन्हें मुआवजा आदि देने की तथा अन्य समस्त जिम्मेदारी/भार लाईसेन्सी का होगा निगम की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी साथ ही लाईसेन्सी के कार्य कलापों से यदि किसी तृतीय पक्ष को असुविधा/हानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व उक्त लाईसेन्सी का ही होगा। निगम की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. अनुबन्ध की अवधि में यदि संस्था के सफाई कर्मियों द्वारा हड़ताल की जाती है तो निगम द्वारा शौचालय/मुत्रालयों की साफ-सफाई, रखरखाव के कार्य पर जो भी व्यय होगा वह लाईसेन्सी से वसूल किया जायेगा किन्तु लाईसेन्स फीस में छूट देय नहीं होगी।
18. शौचालयों/मुत्रालयों की साफ-सफाई हेतु पानी एकत्रित करने की टंकियों की सफाई प्रत्येक माह में कम से कम दो बार लाईसेन्सी को करनी होगी।
19. लाईसेन्सी के सफाई कार्य का निरीक्षण करने के लिए आगारीय कमेटी या उनके द्वारा दिये गये निर्देश/निर्णय की पालना करने के लिए लाईसेन्सी बाध्य होगा शौचालय/मुत्रालयों धरों की साफ-सफाई

- व रखरखाव सन्तोषजनक है अथवा नहीं यह निर्णय करने का अधिकार मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार जयपुर को होगा।
20. अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त विवाद पर पंच निर्णय के रूप में निगम के अध्यक्ष को निर्णय का अन्तिम अधिकार होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
  21. निर्धारित किराया राशि (लाईसेन्स एवं जीएसटी) राशि प्रतिदिन निगम कोष में जमा करानी होगी। प्रतदिनस जमा नही कराये जाने की स्थिति में 100 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से शारित राशि जमा करनी होगी। सात (07) दिवस तक जमा नही कराने की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त करते हुए सुरक्षा राशि जप्त कर ली जावेगी।
  22. प्राप्त दरों की स्वीकृति/अस्वीकृत करने का तथा दर दाताओं के प्रस्ताव को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार आगारीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
  23. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित जी.एस.टी. का भुगतान लाईसेन्सी को लाईसेन्स फीस के अतिरिक्त लाईसेन्स फीस के साथ प्रतिदिन निगम कोष में जमा कराना होगा।
  24. लाईसेन्सी द्वारा स्वैच्छा से यदि कार्य छोड़ा जाता है तो कार्य छोड़ने की दिनांक से तीन माह पूर्व कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि निगम हित में जब्त कर ली जावेगी।
  25. लाईसेन्सी द्वारा सुविधा उपभोगकर्ता से निगम द्वारा निर्धारित शौचालय स्नानघर शुल्क की ही वसुली की जावेगी एवं मूत्रालय/पेशाव सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। यदि निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने की प्राप्त शिकायत सही पायी जाती है तो 1000 रूपए प्रथम दो प्रकरण तक प्रति शिकायत के हिसाब से शास्ती राशि वसूल की जावेगी, अग्रिम दो प्रकरण सत्यापित पाये जाने पर 2000 रूपये प्रति शिकायत के हिसाब से शास्ती राशि वसूल की जावेगी एवं पांचवी बार प्रकरण सत्यापित पाये जाने पर 5000 रूपये शास्ती राशि वसूल की जावेगी तथा इसके पश्चात् प्राप्त शिकायत सत्यापित पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्ति के साथ सुरक्षा राशि जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
  26. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि 50000/- बैंक ड्राफ्ट जो कि मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार, जयपुर के नाम हो संलग्न करनी होगी। निविदादाता को निविदा में पैन नम्बर व आधार नम्बर देना आवश्यक होगा।
  27. घोषणा-पत्र जो संलग्न किया हुआ है पूर्ण भरकर प्रस्तुत करना होगा।
  28. प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात् तीन दिवस में निविदादाता की 500/- रु. व 100/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  29. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
  30. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
  31. केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारी एवम् उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को लाईसेन्स आवंटित नहीं किया जा सकेगा।
  32. सिन्धी कैम्प परिसर में नव निर्माण कार्य के कारण निगम प्रशासन को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर एवं अन्य किसी स्थिति में 10 दिवस का लिखित नोटिस देकर स्थान खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
  33. शौचालय/मूत्रालय को बस स्टैण्ड की मुख्य पानी की लाईन से जोड़ने का कार्य शौचालय/मूत्रालय संचालनकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाना होगा साथ ही लाईन डलवाने में प्रयुक्त होने वाले पाईप एवं पानी चढ़ाने हेतु मोटर आदि की व्यवस्था भी स्वयं के व्यय पर करनी होगी। निगम द्वारा इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
  34. पानी का फिक्स किराया 2000/- रूपये महीना होगा। नियत अवधि में जमा नही कराने पर शारित राशि वसूल की जावेगी।
  35. प्रत्येक माह बिजली एवं पानी का बिल नियम अवधि में जमा कराना अनिवार्य होगा। मासिक रूप से बिजली का बिल जमा नही कराने पर कनेक्शन विच्छेद कर दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन जुडवाने पर 500/- रु शारित राशि वसूल की जायेगी। निर्धारित अवधि में बिजली का बिल जमा नही कराने के दो प्रकरण होने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
  36. जी.एस.टी. इनपुट हेतु अपना जी.एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा जी.एस.टी. इनपुट का लाभ नही मिलने पर निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
  37. निविदादाता द्वारा ई-निविदा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात निविदा से सम्बन्धित दस्तावेज को कार्यालय में जमा करवाये जाने वाले लिफाफे पर कम संख्या केन्टीन/स्टाल/शौचालय आदि का

नाम/स्थान एवं निविदादाता का नाम/पता अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। अन्यथा उस निविदा फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

38. किसी भी का उल्लंघन करने पर बिना पूर्व सूचना के 24 घण्टे का नोटिस देकर शौचलय/मूत्रालय का लाईसेंस/अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी लाईसेंसी/अनुबन्धकर्ता की होगी।

मैंने उपरोक्त शर्तों को भलीभांति पढ़कर, समझकर, सुनकर बिना दबाव के हस्ताक्षर किये हैं उक्त शर्तें मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं।

श्रीमान कार्यकारी निदेशक (विधि) महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक 783 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तों में Dispute Resolution and Arbitration Clause को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

39. Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
40. Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in Jaipur.

मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्तें मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)



## राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड, जयपुर।

### घोषणा-पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा डी.डी.संख्या/ बैकर्स चेक संख्या ..... दिनांक .....  
..... राशि ..... रुपये ..... जो कि C.M.RSRTC CBS  
JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे हैं/कर दिया है।
2. मैं/हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते हैं। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव किये हैं उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नहीं दिये गये हैं।

दिनांक :-

(हस्ताक्षर निविदा दाता)

मय पद/हैसियत व मोहर सहित।